निबंधन सं0 पी0 टी0—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आषाढ़ 1930 (श0)

(सं0 पटना 376) पटना, सोमवार, 23 जून 2008

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

20 जून 2008

सं01/विविध-023/2007 (खण्ड-3)-1228/एम0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार खान एवं भूतत्व सेवा में व्यक्तियों की भर्त्ती के ढंग तथा सेवा शर्तों के विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

अध्याय 1

प्रारम्भिका

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ– (1) यह नियमावली बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएं—

इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(i) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है पृथक इकाई के रूप में सेवा के स्वीकृत बल;

(ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(iii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(iv) 'सदस्य' या 'सेवा के सदस्य' से अभिप्रेत है वैसे व्यक्ति जो बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के लिये नियुक्त किये गये हों;

(v) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची;

(vi) 'सेवा' से अभिप्रेत है बिहार खान एवं भूतत्व सेवा;

(vii) 'प्रतियोगिता परीक्षा' से अभिप्रेत है बिहार खान एवं भूतत्व सेवा प्रतियोगिता परीक्षा;

(viii) 'अधीनस्थ सेवा' से अभिप्रेत है खान निरीक्षकों का संवर्ग;

(ix) 'विभाग' से अभिप्रेत है खान एवं भूतत्व विभाग; तथा

(x) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार।

3. ~~सेवा का गठन।~~—यह सेवा बिहार खनन एवं भूतत्व सेवा के रूप में जानी जायेगी तथा राज्य सेवा के रूप में समझी जायेगी। यह सेवा खान एवं भूतत्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत होगी। [redacted] के [redacted]

इस सेवा बल अनुसूची-1 में अंतर्विष्ट रूप में होगी।

4. इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से खनन सेवा तथा भूतत्व सेवा में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वत: इस सेवा में शामिल समझे जायेंगे।इस सेवा के सभी सदस्य राजपत्रित होंगे।

अध्याय-2

भर्त्ती

5. **भर्त्ती के स्रोत** । – (1) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा में भर्त्ती किया जायेगा :-

(क) नियमावली के अध्याय-3 के अनुसार सीधी भर्त्ती द्वारा ।

(ख) नियमावली के अध्याय-4 के अनुसार प्रोन्नति द्वारा ।

6. **आरक्षण** । - नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित आरक्षण नियम / रोस्टर लागू होंगे ।

7. **आयोग के लिये रिक्तियों के निर्धारण तथा उसे अधिसूचित करने के संबंध में।**

प्रत्येक कलेन्डर वर्ष में विभाग 1 ली अप्रील को उसी वर्ष में सीधी भर्त्ती तथा प्रोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा तथा ऐसी निर्धारित रिक्तियाँ आयोग को भेजी जायेंगी ।

अध्याय -3

सीधी भर्त्ती

8. **सीधी भर्त्ती** । - सेवा के बेसिक ग्रेड में 75 प्रतिशत पदों को सीधी भर्त्ती द्वारा भरा जायेगा । आयोग प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को विज्ञापित करेगा तथा नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

9. **पात्रता** ।सेवा के बेसिक ग्रेड में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक होगा । अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय । न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता वही होगी जैसा इस नियमावली के अनुसूची –II में विहित है ।

10. **परीक्षा** पात्र उम्मीदवारों को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा । परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे :

1-	सामान्य ज्ञान	100
2-	खनन या भूतत्व	100
3-	खनिज नीति तथा संबंधित अधिनियम, नियमावली,	100

विनियमन आदि जो भारत विद्यमान है ।

प्रत्येक विषय में न्यूनतम अर्हतांक, वही होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें ।

11- **अन्तर्वीक्षा ।** अन्तर्वीक्षा के लिये रिक्तियों की दोगुनी संख्या में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा । अन्तर्वीक्षा के लिये 50 अंक होंगे। इसके लिये न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक निर्धारित नहीं किये जायेंगे ।

12- **आयोग द्वारा अनुशंसा** । (1) आयोग लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा । इस प्रकार से तैयार मेधा सूची से आयोग उम्मीदवारों की ऐसी संख्याओं की अनुशंसा करेगा जैसा कि विभाग द्वारा अधियाचना की गई हो ।

(2) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को बराबर अंक प्राप्त होने की स्थिति में मेधा सूची में उम्मीदवारों के उम्र के आधार पर वेटेज दिया जायेगा अर्थात् कम उम्र के उम्मीदवार की तुलना में अधिक उम्र के उम्मीदवार को मेधा सूची में ऊपर के स्थान पर रखा जायेगा ।

(3) उप नियम(i) के अनुसार तैयार की गई मेधा सूची की मान्यता की अवधि एक पंचांग वर्ष की होगी ।

(4) सफल उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या की कमी अथवा पद पर योगदान नहीं करने के कारण बच गयी रिक्तियाँ अगले वर्ष के लिये अग्रणीत की जायेंगी ।

13 **चिकित्सा संबंधी परीक्षण । -** प्रत्येक उम्मीदवार जिनका नियुक्ति हेतु चयन किया गया हो उन्हें राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा । जो उम्मीदवार पद के कर्त्तव्य को दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिये आवश्यक अपनी शारीरिक योग्यता के संबंध मेडिकल बोर्ड को संतुष्ट करने में विफल हों उन्हें नियुक्त नहीं किया जायेगा । मेडिकल बोर्ड इसके लिये वस्तुनिष्ठ मानदण्ड निर्धारित करेगा ।

अध्याय-4

प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती

14 **प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती । -** (1) इस नियम के अधीन प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती का आधार निश्चित रूप से वरीयता-सह-मेधा का रहेगा ।

(2) सेवा के बेसिक ग्रेड के 25 प्रतिशत पदों को विभाग के अन्तर्गत खान निरीक्षक संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा जायेगा ।

(3) प्रोन्नति द्वारा ऐसी नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष / सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर हो सकेगी ।

(4) प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण नियम / रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा ।

(5) प्रोन्नति के लिये राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा ।

15- वेतन - विभिन्न कोटि के पदों के लिये वही वेतनमान होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय या उसके अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान समय-समय पर घोषित की जाय।

अध्याय-5

सम्पुष्टि

16 परीक्ष्यमान । (1) प्रत्येक पदाधिकारी, जिसकी नियुक्ति बेसिक ग्रेड में मौलिक रिक्ति के विरूद्ध हुई है, पद पर योगदान की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परीक्ष्यमान के रूप में रहेगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति न्यूनतम दो वर्षों तक कार्यकारी या अस्थायी रूप से पद धारण किये हो तो उस अवधि को विभाग परीक्ष्यमान अवधि में गणना किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है ।

(2) परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर ऐसी अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकेगी । यदि बढ़ायी गई अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं हो तो राज्यपाल परीक्ष्यमान अवधि के अन्त में किसी पदाधिकारी की, जिनकी सीधी नियुक्ति की गई हो, सेवा समाप्त कर सकते हैं या प्रोन्नत पदाधिकारी को मौलिक नियुक्ति पर वापस कर सकते हैं ।

(3) सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त परीक्ष्यमान अवधि सम्पूर्ण सेवा अवधि में सम्मिलित की जायेगी ।

17 विभागीय परीक्षा । कोई भी व्यक्ति तबतक बेसिक ग्रेड से उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिये पात्र नहीं होगा जबतक वह विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न हो गया हो तथा विहित प्रशिक्षण पूरा न कर लिया हो और सेवा में सम्पुष्ट न हो गया हो ।

पाठ्य पुस्तक । विभागीय परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम वही होगा जो अनुसूची-III में विहित है ।

18- प्रशिक्षण । - इस सेवा के सदस्य को राज्य के भीतर अथवा बाहर ऐसी अवधि के लिये प्रशिक्षण पूरा करना होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय ।

19 सम्पुष्टि । - (1) परवीक्षा पर नियुक्त पदाधिकारी परवीक्षा अवधि पूरा करने पर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर सम्पुष्ट किया जायेगा ।

(2) किसी भी नियुक्त व्यक्ति को प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि के बाद अगली वार्षिक वेतनवृद्धि तबतक नहीं दी जायेगी जब तक वह विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाय ।

अध्याय-6

संवर्गीय प्रोन्नति

20 प्रोन्नति । - इस नियम के अधीन प्रोन्नति का आधार निश्चित रूप से वरीयता-सह-मेधा होगी ।

सेवा के बेसिक ग्रेड के पद से ऊपर के सभी पदों को सेवा के सदस्यों के प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा ।

(1) अर्हक सेवा - प्रोन्नति हेतु कोई भी पदाधिकारी तबतक योग्य नहीं होगा जब तक वह राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि पूरा नहीं कर लेता ।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति -

(क) सहायक निदेशक, उप निदेशक तथा अपर निदेशक के पद पर प्रोन्नति के लिये विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति होगी ।

(ख) निदेशक का पद खनन एवं भूतत्व सेवा के पदाधिकारियों से आयोग के अध्यक्ष / सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर भरा जायेगा: परन्तु प्रशासनिक आवश्यकताओं की स्थिति में निदेशक के पद को अस्थायी रूप से अन्य सेवाओं से भी भरा जा सकेगा ।

अध्याय-7

सामान्य

21- **क्षेत्र के कार्य के संबधं में संविदा** । -

(1) इस सेवा के किसी भी सदस्य को सरकार के किसी भी विभाग में तथा विहार राज्य में किसी भी स्थान में या बाहर में पदस्थापित किया जा सकेगा ।

(2) राज्य सरकार को इस सेवा के किसी सदस्य को पदस्थापित करने या उसकी वरीयता के अनुरूप गैर सम्वर्गी पद पर प्रतिनियुक्त करने की शक्ति होगी ।

22- **निदेशक का प्रशासनिक नियंत्रण** । - जब सदस्य की सेवा निदेशालय के अधीन हों तो निदेशक सदस्यों के उपर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसा कि राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष सामान्यत: प्रयोग करते हैं ।

23- **सेवा की अन्य शर्त्तें** । - इस सेवा के संबंध में सेवा की लागू अन्य शर्त्तें, यथा - अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, सेवानिवृत्ति लाभों इत्यादि, जो इस नियमावली द्वारा आच्छादित नहीं है, राज्य सरकार के कर्मियों तथा अधिकारियों के लिये निर्मित संगत नियमावली द्वारा शासित होंगी ।

24- इस नियमावली के क्रियान्वित करने में होनेवाली कठिनाई / कठिनाईयों को राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा दूर किया जा सकेगा ।

25- निरसन एवं व्यावृति । - इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से खनन संवर्ग तथा भूतत्व संवर्ग के लिये लागू नियम / संकल्प / अनुदेश आदि निरसित समझे जायेंगे । परन्तु, ऐसा निरसन के होते हुये भी पूर्व में निर्गत नियम, अनुदेश, संकल्प के आलोक में की गयी कार्रवाई इस नियमावली के तहत की गयी कार्रवाई समझी जायेगी

राज्यपाल के आदेश से,

(फूल सिंह)
प्रधान सचिव ।

एस.ओ.नं0- । /विविध-023/07 खण्ड III-1228 /एम0 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

अनुसूची I

सम्वर्ग का गठन तथा पदों की संख्या

(क) बेसिक स्केल का पद खनिज विकास पदाधिकारी - वेतनमान - रू0 6500-10500

कमांक	पदनाम	पदों की संख्या	पदस्थापन
1	2	3	4
1	खनिज विकास पदाधिकारी	25	जिला स्तर / प्रमंडल स्तर / मुख्यालय स्तर
(ख) सहायक निदेशक के कोटि में पद - वेतनमान - रू0 10000-15200/-			
1	सहायक निदेशक	11	जिला स्तर / प्रमंडल स्तर/ मुख्यालय स्तर
(ग) उप निदेशक के कोटि में पद :- वेतनमान - रू0 12000-16500/-			
1	उप निदेशक	8	प्रमंडल स्तर / मुख्यालय स्तर
(घ) अप निदेशक के कोटि में पद - वेतनमान - रू0 14300-18000/-			
1	अपर निदेशक	1	मुख्यालय
(ङ.) निदेशक के कोटि में पद		वेतनमान - 16400-20000/-रू0	
1	निदेशक (विभागाध्यक्ष)	1	मुख्यालय

सम्वर्ग का कुल बल (5 प्रतिशत आरक्षण छोड़कर)

(i)	खनिज विकास पदाधिकारी	-	25
(ii)	सहायक निदेशक	-	11
(iii)	उप निदेशक	-	8
(iv)	अपर निदेशक	-	1
(v)	निदेशक	-	1

कुल:- 46

छोड़ा हुआ 5 प्रतिशत आरक्षण - 2

कुल :- 48

नोट:- सरकार समय-समय पर उपर्युक्त संवर्ग के पदों की संख्या एवं वेतनमान का पुनर्निधारण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगें ।

अनुसूची II

बिहार खनन एवं भूतत्व सेवा के बेसिक ग्रेड में सीधी भर्त्ती के लिये अहर्त्ताएं होगी :-

खनिज विकास पदाधिकारी - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से 2री श्रेणी, एम.एस.सी., भूगर्भ विज्ञान में उपाधि / सम्बद्ध भूगर्भ विज्ञान एम.टेक. / खनन अभियंत्रण में उपाधि ।

अनुसूची III

विभागीय परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम

भाग-I (सामान्यत नियमावली) पूर्णांक-100

(i) बिहार यात्रा भत्ता नियमावली
(ii) बिहार राज्य सरकारी सेवा आचार नियमावली
(iii) बिहार कोषागार संहिता भाग I तथा II
(iv) बिहार सेवा संहिता
(v) बिहार पेंशन नियमावली
(vi) बिहार भविष्य निधि नियमावली

भाग-II (खनन एवं राजस्व से संबंधित अधिनियम एवं नियमावली) पूर्णांक 100

(i) एम.एम.आर.एण्ड डी. एक्ट, 1957, बी.एम.एम.सी. रूल्स, 1972, बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियमावली, 2003)
(ii) बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट, 1914 ।